फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 68/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/77) **श्री राजेन्द्र गुप्ता बनाम श्री धनपतसिंह महाजन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री भगवानलाल पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री नरेश कुमार जणवा - वकील प्रत्यर्थी-1 व 2 **अनवान** 1. श्री राजेन्द्र पिता श्री प्रेमनारायण गुप्ता, निवासी सी.टी.सेन्टर के पीछे, उदयपुर रोड़, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। **अपीलार्थी** 1. श्री धनपत सिंह पिता श्री शोभागसिंह महाजन, निवासी धाकड़ छात्रावास के पास, उदयपुर रोड़, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 2. श्री दलपतसिंह पिता श्री शोभागसिंह महाजन, निवासी धाकड़ छात्रावास के पास, उदयपुर रोड़, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 3. श्री रामेश्वरलाल पिता श्री उंकार वैष्णव, निवासी धाकड़ छात्रावास के पास, उदयपुर रोड़, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 4. श्री गोपाल पिता श्री जगदीश भट्ट, निवासी भट्टो का कुंआ, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा का निर्णय दिनांक 24.06.2019 व 26.08.2020, प्रकरण संख्या 123/2019 व 129/2019, बउनवानी श्री धनपतसिंह बनाम श्री रामेश्वरलाल** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 02.08.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा का निर्णय दिनांक 24.06.2019 व 26.08.2020, प्रकरण संख्या 123/2019 व 129/2019, बउनवानी श्री धनपतसिंह बनाम श्री रामेश्वरलाल, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 व 2 श्री धनपत एवं दलपतसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 एलआर एक्ट वर्तमान अपील के अपीलार्थी-1 व प्रत्यर्थी-3 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि उनके स्वामित्व, आधिपत्य व कब्जे काश्त के खाता संख्या 315 पुराना 298 जिसके आराजी संख्या 1829 रकबा 0.2100 हैक्टेयर ग्राम निम्बाहेड़ा में स्थित है और जिसके पडौस विपक्षी है। उक्त भूमि के पड़ौस के खातेदारों एवं उनकी भूमि के मध्य कोई सीमा चिन्ह नहीं होन से विवाद की स्थिति रहती है। इसलिए प्रार्थी विवाद से बचने के लिए अपनी आराजी की मुकम्मज पत्थरगढ़ी करा लेना चाहते है, इस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 123/2019 से दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 24.06.2019 से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 12.07.2019 को पत्यथगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 तहसीलदार निम्बाहेडा को पेश की गई। उक्त पत्थरगढ़ी उपरान्त श्री राजेन्द्र गुप्ता द्वारा एक आपत्ति उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पटवार हल्का द्वारा प्रकरण में जो पत्थरगढ़ी की गई है, वह गलत है। श्री राजेन्द्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष कई आक्षेप प्रस्तुत किये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 129/2019 दर्ज कर निर्णय दिनांक	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 68/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/77) **श्री राजेन्द्र गुप्ता बनाम श्री धनपतसिंह महाजन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26.08.2020 उक्त आपत्तियों को निरस्त कर दिया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के उक्त निर्णय दिनांक 24.06.2019 व 26.08.2020 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पेश किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश दिनांक 28.01.2021 से जिला चित्तौड़गढ़ से संबंधित प्रकरणों को क्षेत्राधिकार न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रदान किये जाने से हस्तगण प्रकरण स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ, जिस दर्ज रजिस्टर किया जाना तद्नुसार रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-1 व 2 एवं प्रत्यर्थी-1 का पुत्र उपस्थित जिसकी पहचान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा की गई। उपस्थित अधिवक्तागण बहस दिनांक 31.07.2024 को सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 सिप्रस के पेश किये।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये कथित निर्णय पारित कर दिया। आराजी संख्या 2829 के पश्चिम में अपीलार्थी की रूपान्तरित भूमि है, जिसका नम्बर 2072/1362 रूपान्तरित भाग की भूमि का भाग दक्षिण तरफ सकडा और उत्तर तरफ से चौड़ा है, अपीलार्थी ने 25 फीट पूर्व पश्चिम दक्षिण साईड में और 45 फीट पूर्व पश्चिम उत्तर साईड में रूपांतरित करवाया, जिस अपीलार्थी का कब्जा है। अपीलार्थी की रूपान्तरित भूमि में कोई रास्ता नहीं है। वक्त अपीलार्थी की भूमि के रूपान्तरण के समय पटवारी हल्का और गिरदावर सेटलमेंट के समय के मुश्तकिल निशान को आधार मानकर नपती की गई थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में व पर्चे मौके में अपीलार्थी की भूमि रूपान्तरित है, इसका काई उल्लेख अपने पर्चे मौके में नहीं किया गया है, अपीलार्थी की जमीन 2072/1362 पूरी रूपान्तरित है और उसी को नियमानुसार अपीलार्थी ने रूपांतरित करवाया है, वक्त रूपान्तरण राजस्व कर्मचारियों और पटवारी हल्का ने मुश्तकिल निशान से नपती की गई थी, इसलिए रूपान्तरण भूमि के अन्दर जाकर गलत तरीके से पत्थरगढ़ी की है, मौके पर किसी प्रकार के रास्ते का उल्लेख पूर्व की रूपान्तरण के समय की पर्चे की किसी रिपोर्ट में नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का नजरअदांज किये, अपीलार्थी को बिना सुने पत्थरगढ़ी का आदेश दिया गया। इस बाबत अपीलार्थी ने एक रिव्यु प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पेश किया जिस दिनांक 26.08.2020 को अविधिक तौर पर खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किये गये जिससे उसे निर्णय की जानकारी ससमय न हो सकी, जिससे हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेशों का निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी-1 को पुत्र मय अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 उपस्थित होकर अपील स्वीकार फरमाई जाने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी-1 के पुत्र की पहचान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा की गई जिसकी ताईद में फर्द अहकाम पर दस्तखत अंकित किये गये है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील मयाद बाहर पेश की। मयाद उपशमन हेतु अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रमुख कारण अपीलाधीन निर्णय की कार्यवाही परोक्ष रूप

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 68/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/77) **श्री राजेन्द्र गुप्ता बनाम श्री धनपतसिंह महाजन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से पारित निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को ससमय नहीं हो सकी। प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों, अपील पर मनन करने एवं शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। इसके अतिरिक्त दौराने बहस, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है व प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत प्रकरण से पुरी तरह सम्बन्धित है, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है।

उक्त प्रकरण में अपीलार्थी का प्रमुख उज्र रहा है कि पत्थरगढ़ी आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे कोई सूचना प्रदान नहीं की गई, न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अन्य पक्षकारों को कोई सम्मन/नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही उनको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया, जो राजस्व कोर्ट मेन्युअल, राजस्व नियमावली एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकुल आदेश जारी किये जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यह इस प्रकरण में नहीं किया गया जो समर्थन योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी-1 को पुत्र मय अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 उपस्थित होकर अपील स्वीकार फरमाई जाने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी-1 के पुत्र की पहचान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा की गई जिसकी ताईद में फर्द अहकाम पर दस्तखत अंकित किये गये है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-128 स्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है।

परिणामतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त/अपास्त किये जाते है। यह निर्णय किसी भी न्यायालय में यदि कोई वाद/प्रकरण लम्बित हो तो, उसमें पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर